रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

रक्षा उत्पादन विभाग
DEPARTMENT OF
DEFENCE PRODUCTION
GOVERNMENT OF INDIA

रक्षा क्षेत्र में सुधार

निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना

(2014 - 2021)

हमने रक्षा क्षेत्र में लाइसेंस समाप्त करने, विनियमन, निर्यात संवर्धन, विदेशी निवेश उदारीकरण सहित कई उपाय किए हैं। हम आगे भी काम कर रहे हैं और पारदर्शिता, पूर्वानुमान और व्यापार सुगमीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए "आत्मनिर्भर भारत" के मंत्र के साथ, भारत का रक्षा क्षेत्र एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ तेजी से प्रगति करने के लिए तैयार है। अब भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर फोकस करने के साथ भारत "मेक इन इंडिया" से "मेक फार दी वर्ल्ड" की ओर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है।

राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री
भारत सरकार

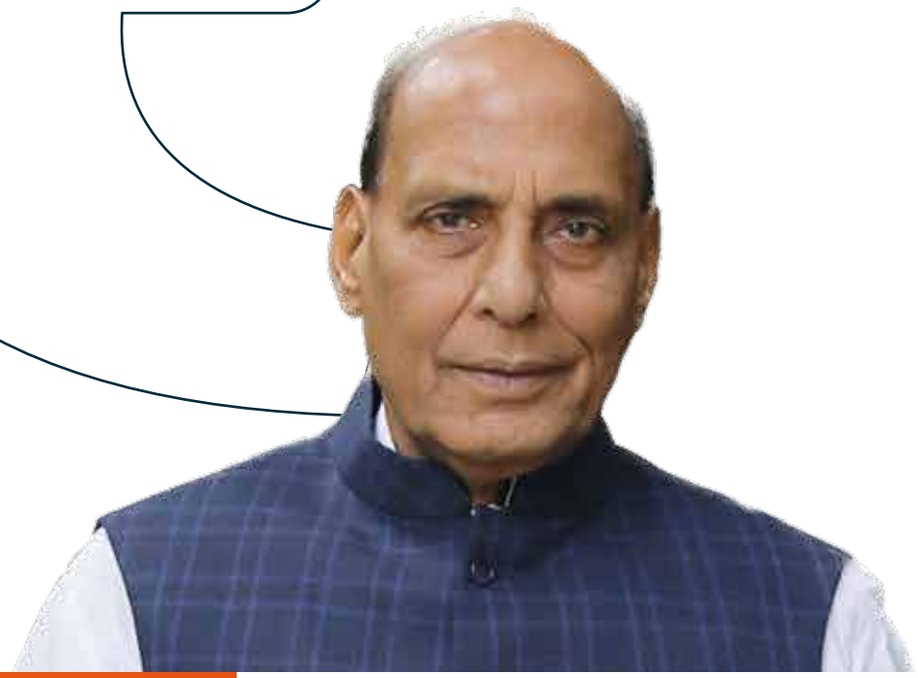

निजी क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करना

भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र सरकार एवं रक्षा निर्माण उद्योग के बीच एक संगम है । उद्योग में सतत विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे एक दूसरे को प्रेरित करें । एयरोस्पेस तथा रक्षा के 80,000 करोड़ रु. के उद्योग होने का अनुमान है जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़कर 17,000 करोड़ रु. हो गया है । निजी रक्षा क्षेत्र को एक वैश्विक लीडर बनाने का विजन है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा प्रेरित निजी रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कई नीतियों और पहलों को लागू किया गया है । उठाए गए कदमों में आन्तरिक प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करना, आयात को प्रतिबंधित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन प्रदान करना, व्यापार सुगमीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजनाएं तैयार करना और स्वदेशी उत्पादों के निर्माण और खरीद को प्रोत्साहित करना शामिल है, जो निजी रक्षा क्षेत्र के लिए उड़ान भरने में पंख के रूप में कार्य करते हैं ।

विषय-सूची

1 घरेलू रक्षा अधिप्राप्ति में हिस्सेदारी बढ़ाना

I डिजाइन क्षमता 1
II समान अवसर 2
III स्थानीय अधिप्राप्ति 3

2 जटिल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मुहैया कराना

I जटिल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच आसान बनाने वाली ऑफसेट नीति 5
II अनुसंधान एवं विकास 6

3 निवेश को प्रोत्साहित करना

I आयात प्रतिबंध 7
II एफडीआई नीति 8
III रक्षा औद्योगिक गलियारे 11
IV निवेश को प्रोत्साहित करने वाली ऑफसेट नीति 13
V औद्योगिक लाइसेंसिंग 14
VI रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ 16

4 स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना

I सृजन पोर्टल 17
II संघटकों का स्वदेशीकरण 19
III भारत-रूस सहयोग 22

5 विश्व बाजार का उपयोग

I निर्यात 23
II खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस 29

6 डिजाइन एवं विकास की क्षमताओं का उपयोग

I मेक-I प्रक्रिया 30
II मेक-II प्रक्रिया 31
III रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार 33

7 व्यापार सुगम बनाना

I परीक्षण सुविधाएं 34
II विनिमय दर अंतर संरक्षण 35
III तृतीय पक्ष निरीक्षण 36

8 वर्ष 2020-21 में प्रदर्शनियां एवं आउटरीच कार्यक्रम

I एयरो इंडिया 2021 37
II बजट घोषणा वर्ष 2021-22 पर वेबिनार 40
III निर्यात संवर्धन हेतु विदेशों के साथ वेबिनार 43

घरेलू रक्षा अधिप्राप्ति में हिस्सेदारी बढ़ाना

I - डिजाइन क्षमता

पहल

रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी)-2016 में पूंजीगत अधिप्राप्ति की एक नई श्रेणी 'खरीदो {भारतीय- आईडीडीएम(स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित एवं विनिर्मित)}' को शामिल किया गया है।

क्रियान्वयन

पूंजीगत उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई है।

सुधार के पहले की स्थिति

डिजाइन क्षमताएं रखने वाली भारतीय कंपनियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था । भारतीय कंपनियों को उन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती थी, जिनके पास केवल विनिर्माण क्षमताएं थी।

सुधार के बाद प्रगति

सुधार से रक्षा क्षेत्र में घरेलू डिजाइन क्षमताओं का सृजन करने में सहायता मिली है।

उपलब्धियां

गत 4 वित्तीय वर्षों (2016-17 से 2019-20) में, 93,727 करोड़ रु. मूल्य के पूंजीगत अर्जन के 86 प्रस्तावों को खरीदो(भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी में रखा गया है।

खरीदो(भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत जारी आवश्यकता की स्वीकृति(एओएन) की संख्या

वर्ष	स्कीमों की संख्या	लागत (करोड़ रु.में)
2016-17	8	56,950.48
2017-18	30	7,926.62
2018-19	27	17,589.37
2019-20	21	11,260.73
कुल	86	93,727.20

II - समान अवसर

पहल

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया(डीपीपी) 2016 में रक्षा अर्जन प्रक्रिया(डीएपी) 2020 के रूप में और संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय निजी रक्षा उद्योगों के लिए उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, लोक जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा एवं समान अवसर प्रदान करना है।

क्रियान्वयन

डीएपी 2020 में भारतीय निजी रक्षा उद्योगों को समान अवसर मुहैया कराने का प्रावधान है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

i. डीएपी 2020 के तहत निर्धारित पूंजीगत अर्जन की विभिन्न श्रेणियों में भारतीय कंपनियों, निजी एवं सार्वजनिक दोनों को अर्जन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है।

ii. सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत, केवल निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कोई भारतीय कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित),सामरिक भागीदारों के लिए चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है।

iii. परियोजनाओं में बोली लगाने के लिए पीएसयू शिपयार्डों के साथ-साथ भारतीय निजी शिपयार्ड भी पात्र बनाए गए हैं।

iv. सभी के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समान अवसरों पर आधारित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परीक्षण एवं जांच प्रक्रिया की ओवरहॉलिंग की गई है।

v उद्योग अनुकूल वाणिज्यिक शर्तें लागू की गई हैं।

सुधार के पहले की स्थिति

निजी उद्योग लंबे समय से समान अवसर प्रदान किए जाने की मांग करते रहे हैं।

सुधार के बाद प्रगति

इन सुधारों से काफी समय से लंबित मांग का समाधान हो गया है और भारतीय निजी उद्योगों के लिए पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा एवं समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

III - स्थानीय अधिप्राप्ति

पहल

रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग(डीपीआईआईटी) द्वारा अधिसूचित नवीनतम सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश 2017 के तहत 46 मदों को अधिसूचित किया है, जिनके लिए स्थानीय क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा है।

इन मदों की अधिप्राप्ति क्रय मूल्य का विचार किए बिना केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी।

क्रियान्वयन

इस सुधार के तहत, विभाग ने केवल उन मदों को अधिसूचित किया है, जिनके लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता एवं स्थानीय प्रतिस्पर्धा है।

केवल "वर्ग-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" क्रय मूल्य का विचार किए बिना बोली लगाने के लिए पात्र होंगे।

सुधार के पहले की स्थिति

सार्वजनिक अधिप्राप्ति(मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 की अधिसूचना से पूर्व, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता देने का कोई प्रावधान नहीं था।

सुधार के बाद प्रगति

इस सुधार से अधिप्राप्ति में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

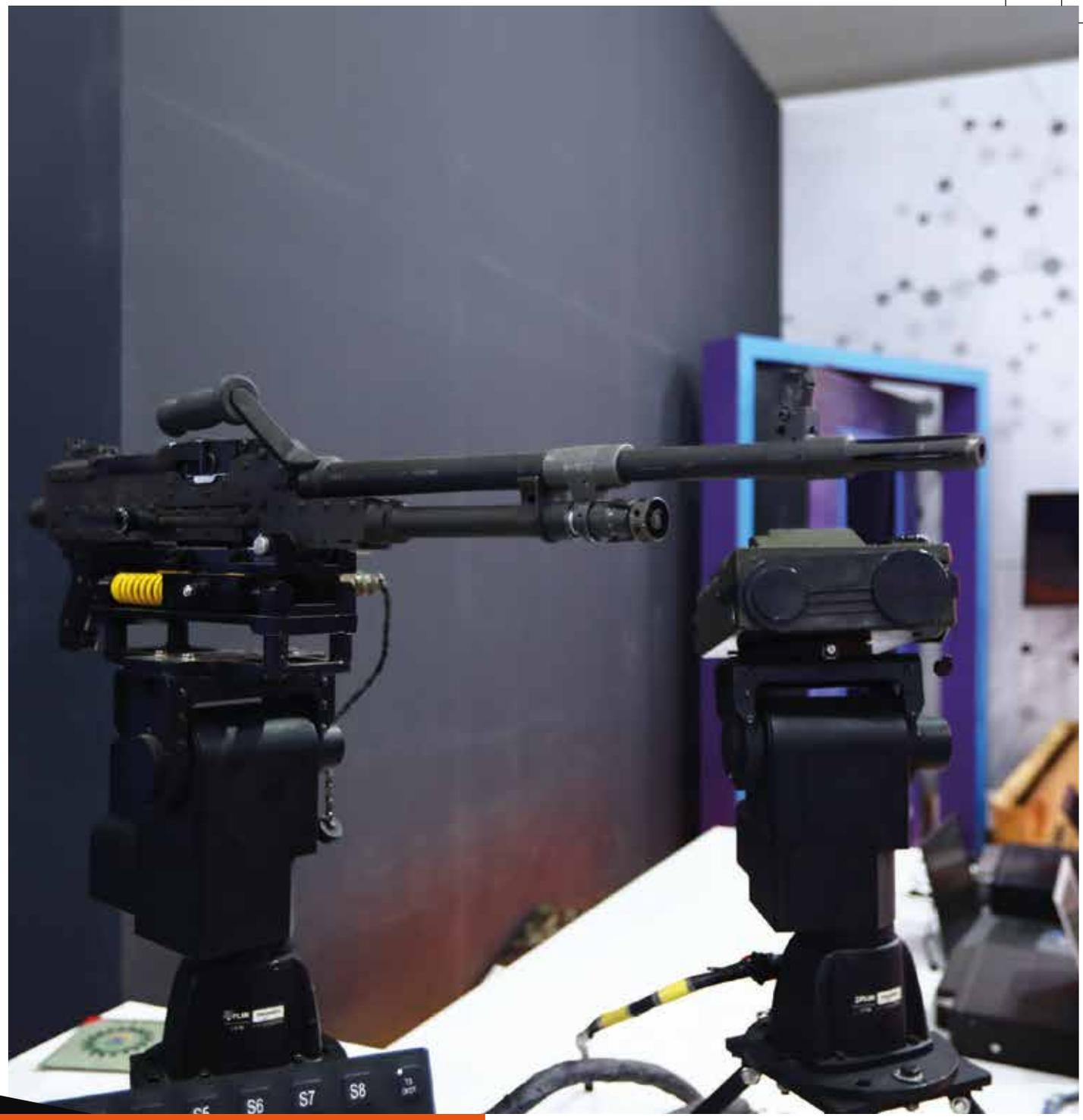

घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए अधिक बजट आरक्षित करना एक बड़ी पहल है। इससे फिक्की रक्षा समिति द्वारा रक्षा अधिप्राप्ति संबंधी योजनाओं पर दीर्घकालिक दृष्यता प्रदान करने का अनुरोध पूरा हुआ है। अब उद्योग जगत अपने पूंजीगत व्यय एवं उत्पादन क्षमता की योजना बना सकता है।

एस.पी. शुक्ला
अध्यक्ष, फिक्की रक्षा समिति

रक्षा प्रणालियों एवं प्लेटफार्मों की निगेटिव आयात सूची के बारे में रक्षा मंत्री की घोषणा से "आत्मनिर्भर भारत" के एक नए विकास पथ की शुरूआत होगी ।

चन्द्रजीत बनर्जी
डीजी-सीआईआई

जटिल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मुहैया कराना

I - जटिल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच आसान बनाने वाली ऑफसेट नीति

पहल

नई ऑफसेट नीति के तहत रक्षा अर्जन प्रक्रिया(डीएपी) 2020 में और ऑफसेट सुधार किए गए हैं, जिसमें रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश एवं प्रौद्योगिकी आकर्षित करने पर बल दिया गया है।

क्रियान्वयन

ऑफसेट निर्वहन के अंतर्गत प्रौद्योगिकी/जटिल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए उच्च गुणकों के जरिए निवेशों को प्रोत्साहित किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

भारतीय उद्यमों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए (x2.0)

ओएफबी/डीपीएसयूको प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए (x3.0)

जटिल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए (x4.0)

सुधार के पहले की स्थिति

i. भारतीय उद्यमों एवं ओएफबी/डीपीएसयू को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं था।

ii. इसके अलावा, ऑफसेट निर्वहन के तहत जटिल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहन गुणक का मूल्य कम था और इस प्रकार का हस्तांतरण केवल डीआरडीओ तक सीमित था। यह निजी उद्योगों के लिए नहीं था।

सुधार के बाद प्रगति

नई ऑफसेट नीति से रक्षा क्षेत्र में भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी/जटिल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

II - अनुसंधान एवं विकास

01

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(डीआरडीओ) ने भारतीय निजी उद्योगों के लिए डीआरडीओ पेटेंट का उपयोग आसान करने के लिए एक नई पेटेंट नीति प्रख्यापित की है। इससे भारतीय उद्योगों को अपने आरएण्डडी में और अधिक बढ़ोतरी करने एवं नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए डीआरडीओ द्वारा किए गए नवाचारों तक पहुंच उपलब्ध होगी।

02

डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) स्कीम आरंभ की गई है। डीआरडीओ नवाचारी रक्षा उत्पादों के डिजाइन का विकास करने के लिए भारतीय उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

03

डीआरडीओ ने 108 प्रणालियों एवं उप प्रणालियों की सूची की पहचान की है जिनका डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण केवल उद्योग द्वारा ही किया जाएगा और इनका विकास डीआरडीओ द्वारा नहीं किया जाएगा।

04

डीआरडीओ को अपनी परियोजना के आरंभ से ही एक विकास-सह-उत्पादन भागीदार का चयन करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत निजी उद्योग के साथ कई उत्पादों का सह-विकास किया जा रहा है।

निवेश को प्रोत्साहित करना

I - आयात प्रतिबंध

पहल

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में, रक्षा मंत्रालय ने 101 मदों की 'सकारात्मक (पूर्व में निगेटिव) सूची' अधिसूचित की है, जिस पर उक्त मदों के लिए उल्लिखित समय सीमा के बाद आयात पर प्रतिबंध होगा ।

दिनांक 31.05.2021 को 108 और वस्तुओं के स्वदेशीकरण के लिए दूसरी सकारात्मक सूची भी अधिसूचित की गई है ।

क्रियान्वयन

इन सूचियों में स्थानीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कार्वेट, सोनार प्रणाली, परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच), रडार जैसी कुछ उच्च प्रौद्योगिकी वाली हथियार प्रणालियां एवं अन्य मदें शामिल हैं।

सुधार के पहले की स्थिति

आयात प्रतिबंध के लिए मदों की ऐसी कोई सूची नहीं थी।

सुधार के बाद प्रगति

i. इससे आगामी वर्षों में सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र सहित भारतीय रक्षा उद्योगों को अपने स्वयं के डिजाइन एवं विकास क्षमताओं का उपयोग करके इन मदों का विनिर्माण करने के लिए एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा।

ii. इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान यानि वोकल फॉर लोकल का अनुपालन होगा।

iii. इससे देश के रोजगार संबंधी प्रयासों को भी बल मिलेगा।

II - एफडीआई नीति

पहल

भारत सरकार ने नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के जरिए 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग जहां कहीं इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की संभावना है, द्वारा 100 प्रतिशत तक रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की बढ़ोतरी की है । 49 प्रतिशत तक एफडीआई इक्विटी/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के लिए मौजूदा एफडीआई अनुमोदन धारकों/मौजूदा रक्षा लाइसेंस धारकों हेतु अनिवार्य सरकारी अनुमोदन को इक्विटी/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर इसके लिए अनिवार्य घोषणा से प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

इन कंपनियों से 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदन के संबंध में भी विचार किया जा सकता है ।

क्रियान्वयन

नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियां रक्षा क्षेत्र में एफडीआई स्वचालित मार्ग के जरिए 74 प्रतिशत तक ला सकती हैं ।

मौजूदा एफडीआई अनुमोदन धारकों को इक्विटी/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

सुधार के पहले की स्थिति

एफडीआई अनुमोदन धारकों को स्वचालित मार्ग के तहत इक्विटी/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के लिए सरकार से अनुमोदन हेतु आवेदन करना होता था ।

कंपनियों जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, को स्वचालित मार्ग के तहत इक्विटी/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता था । इसके फलस्वरूप अनेक कंपनियां अनावश्यक रूप से अनुमोदन व्यवस्था के अधीन आ गई थी ।

सुधार के बाद प्रगति

एफडीआई नीति के उदारीकरण से एफडीआई के प्रवाह का मार्ग सरल हुआ है । स्वचालित मार्ग की उच्चतर सीमा से व्यापार का सुगमीकरण हुआ है ।

उपलब्धियां

देश में एफडीआई के प्रवाह में विगत 6 वर्षों में अत्यधिक सुधार हुआ है ।

वर्ष 2014 के बाद रक्षा क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि

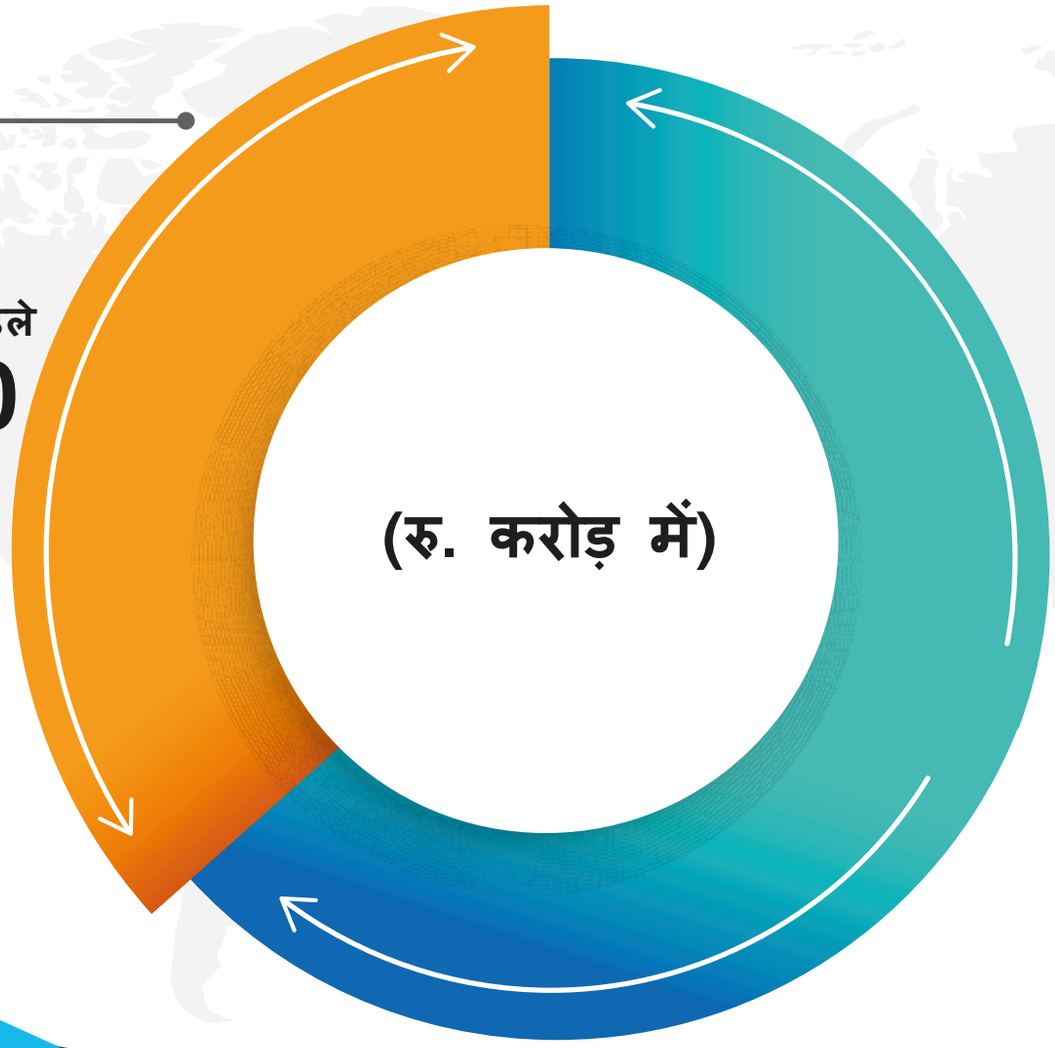

भविष्य के लिए एक सामरिक दिशा के रूप में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई विनियमों के हाल के सरलीकरण के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से उद्योग जगत को और अधिक ऊर्जा मिली है ।

जयंत पाटिल
अध्यक्ष, एसआईडीएम

रक्षा उत्पादन में बढ़ी हुई क्षमताएं न केवल घरेलू उद्योग के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं बल्कि तेजी से बदल रही भू-राजनीतिक स्थिति में देश के लिए प्रचुर सामरिक लाभ भी प्रदान करती हैं ।

दीपक सूद
महासचिव, एसोचैम

III - रक्षा औद्योगिक गलियारे

पहल

फरवरी 2018 में सरकार ने देश के आर्थिक विकास और रक्षा औद्योगिक आधार में प्रगति के एक वाहक के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) की स्थापना करने का निर्णय लिया ।

तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा (टीएनडीआईसी) विकसित करने के लिए पांच नोडों अर्थात चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सेलम और तिरूचिरापल्ली को चिन्हित किया गया है ।

इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) छः नोडों अर्थात आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ को जोड़ता है ।

इन नोडों का चयन रक्षा विनिर्माण की संभावना का सदुपयोग करने और उन्हें चैनेलाइज करने के लिए किया गया है जो इन क्षेत्रों में और इनके आस-पास के एमएसएमई, ओएफबी और डीपीएसयू में विद्यमान है ।

इन रक्षा औद्योगिक गलियारों में अनेक निजी उद्योगों ने या तो पहले ही निवेश किया है या फिर इनमें निवेश करने की उनकी योजना है ।

क्रियान्वयन

भारत सरकार

i. ढांचागत विकास

ii. विदेशी कंपनियों और ओईएम को आकर्षित करने तथा

iii. एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करती है ।

डीआईसी से संबंधित सभी नीतियों के क्रियान्वयन और कार्यान्वयन की

जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है ।

डीआईसी का उद्देश्य:

i. प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और उद्यमों के सहक्रियाशील विकास के माध्यम से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना ।

ii. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन करना ।

iii. एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स सहित निजी स्वदेशी विनिर्माताओं की प्रगति को बढ़ावा देना ।

सुधार के पहले की स्थिति

एक समग्र रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए ऐसा कोई संकेंद्रित प्रावधान नहीं था ।

सुधार के बाद प्रगति

सुधार के बाद दोनों राज्य सरकारों ने निवेश आकर्षित करने के लिए आकर्षक रक्षा और एरोस्पेस नीति को भी अपनाया है, जिसमें पूंजीगत निवेश, कौशल विकास, भूमि आवंटन, प्रमाणन इत्यादि पर सब्सिडी तथा शुल्कों/करों जैसे विद्युत शुल्क, स्टांप ड्यूटी, एसजीएसटी आदि पर रियायत/छूट शामिल है ।

उपलब्धियां

दिनांक 31.05.2021 की स्थिति के अनुसार इन प्रयासों से ओएफबी/डीपीएसयू तथा निजी उद्योग से उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में 1135 करोड़ रुपए और तमिलनाडु रक्षा गलियारे में 966 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है ।

इसके अलावा, टीएनडीआईसी में मौजूदा कंपनियों ने 1140 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है ।

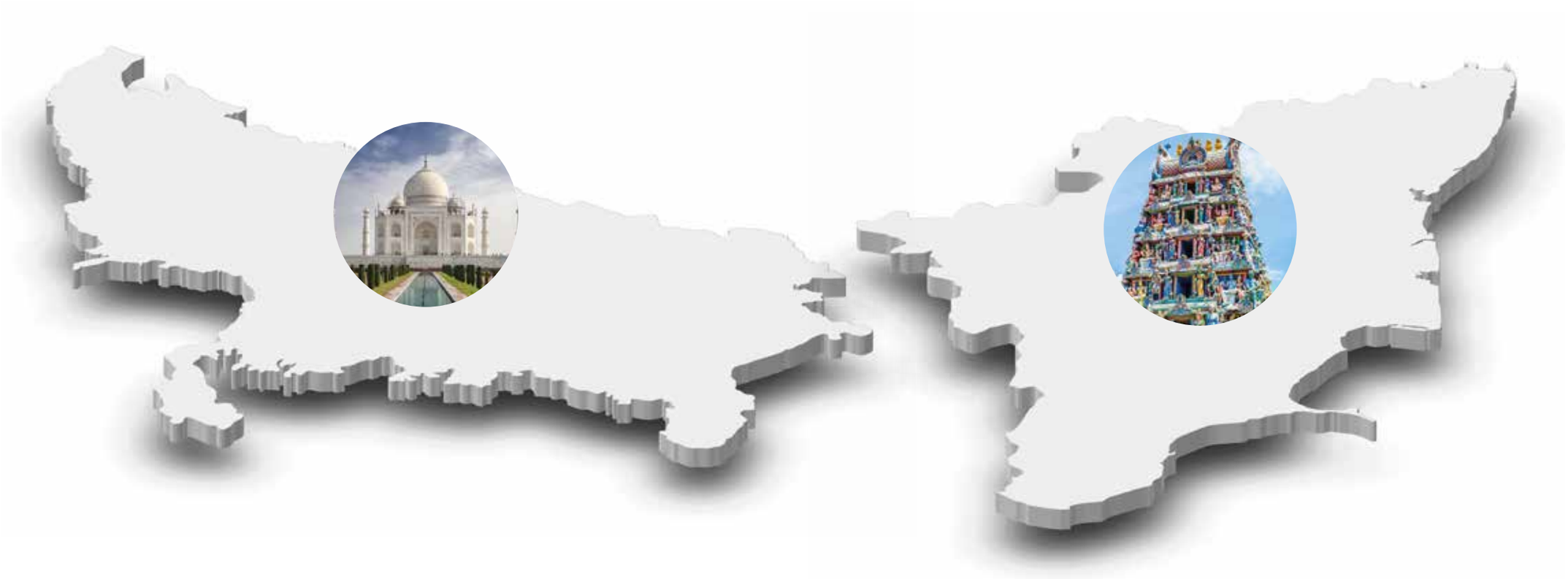

IV - निवेश को प्रोत्साहित करने वाली ऑफसेट नीति

पहल

i. नई ऑफसेट नीति के तहत रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी) 2020 में ऑफसेट सुधारों को भी शामिल किया गया है जिसमें रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने पर बल दिया गया है ।

ii. ऑफसेट दिशा-निर्देशों को हस्ताक्षरित संविदाओं में भी भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आईओपी) और ऑफसेट संघटकों में परिवर्तन की अनुमति देकर लचीला बनाया गया है ।

iii. विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) को अब संविदाओं पर हस्ताक्षर होने के बाद आईओपी तथा उत्पादों का ब्यौरा प्रदान करने की अनुमति है ।

iv. ऑफसेट निर्वहन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से "ऑफसेट पोर्टल" का मई 2019 में सृजन किया गया है ।

क्रियान्वयन

नई ऑफसेट नीति के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन के जरिए संघटकों की तुलना में रक्षा उत्पादों की खरीद को उच्चतर वरीयता दी गई है:

i. रक्षा उत्पादों की खरीद के लिए गुणक :

- उत्पादों/प्रणालियों के लिए (x 1.0)
- संघटकों के लिए (x 0.5)
- एमएसएमई के लिए (x 1.5)

ii. इसके अलावा, ऑफसेट निर्वहन के अंतर्गत उच्चतर गुणकों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है जो निम्नलिखित है :

- रक्षा विनिर्माण में (x 1.5)
- रक्षा औद्योगिक गलियारों में (x 2.0)

सुधार के पहले की स्थिति

i. पूर्व में गुणक केवल एमएसएमई से रक्षा मदों की खरीद तक सीमित था ।

ii. ऑफसेट संविदाओं के अंतर्गत वेंडर द्वारा सभी कारोबार की रिपोर्ट मैनुअल रूप में जमा की जाती थी (दस्तावेजों की प्रतिलिपि) ।

iii. दावों की प्रोसेसिंग मैनुअल माध्यम से की जाती थी ।

iv. ऑफसेट निर्वहन दावों की लेखापरीक्षा में काफी समय लगता था ।

v. ऑफसेट संविदा के लिए कोई विवाद निवारण तंत्र नहीं था ।

vi. असहमति के मामले में परस्पर सहमति आधारित निर्णय लेना कठिन था ।

सुधार के बाद प्रगति

i. नई ऑफसेट नीति से रक्षा क्षेत्र में भारतीय उद्योग को निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बढ़ावा मिलने तथा एमएसएमई में प्रगति होने की संभावना है ।

ii. ऑफसेट पोर्टल से निम्नलिखित सुधार हुए हैं :

- ऑफसेट निर्वहन दावों की ऑन-लाइन लेखापरीक्षा ।
- दावों की तेजी से प्रोसेसिंग ।
- प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही ।
- स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं के जरिए विवाद निवारण तंत्र लागू करना ।

V - औद्योगिक लाइसेंसिंग

पहल

औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाली रक्षा उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अब अधिकांश कलपुर्जों अथवा संघटकों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है ।

दिनांक 01.01.2019 के वर्ष 2019 श्रृंखला के प्रेस नोट 1 के तहत डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादों की संशोधित सूची अधिसूचित की गई है ।

उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम-आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को 03 वर्ष से बढ़ा कर 15 वर्ष कर दिया गया है जिसमें मामला दर मामला आधार पर इसमें और 03 वर्ष की वृद्धि करने का प्रावधान है ।

उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम-आईडीआर अधिनियम 1951/शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस हेतु ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नए ऑन-लाइन पोर्टल का सृजन किया गया है ।

क्रियान्वयन

रक्षा उत्पादों की सूची के यौक्तिकीकरण ने रक्षा क्षेत्र की अनेक मदों को लाइसेंस से बाहर कर दिया है । रक्षा उत्पादों की सूची से मदों के हटने के कारण लाइसेंसिंग प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्टता में कमी आई है ।

उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को डाउनलोड किया जाता है और टिप्पणियों हेतु एसएचक्यू में परिचालित किया जाता है ।

तत्पश्चात, प्राप्त टिप्पणियों को सिफारिश हेतु अथवा अन्यथा आईएल प्रदान करने हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

सुधार के पहले की स्थिति

आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता केवल 03 वर्षों के लिए थी जिसमें अनुमोदन लिए बिना प्रचालन करने हेतु कंपनियों के लिए पर्याप्त समय-सीमा का प्रावधान नहीं था ।

ऑन-लाइन पद्धति से पूर्व आवेदन डाक द्वारा प्राप्त किए जाते थे और डाक द्वारा परिचालित भी किए जाते थे । इसके कारण आवेदनों के निपटान में काफी विलंब हो जाता था ।

सुधार के बाद प्रगति

प्रक्रिया में सुधार :

औद्योगिक लाइसेंस की वैधता में बढ़ोतरी से कंपनियों को अवरोध के बिना प्रचालन और विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त समय-सीमा की सुविधा मिली है ।

वित्तीय लाभ :

लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने से कंपनियों को संस्थानों से वित्त पोषण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं ।

उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम-आईडीआर अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस के लिए ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बी2जी पोर्टल का विकास किया गया है ।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करना आसान होने के कारण लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा तेजी से अनुमोदन हुए हैं ।

उपलब्धियां

अब तक लगभग 523 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

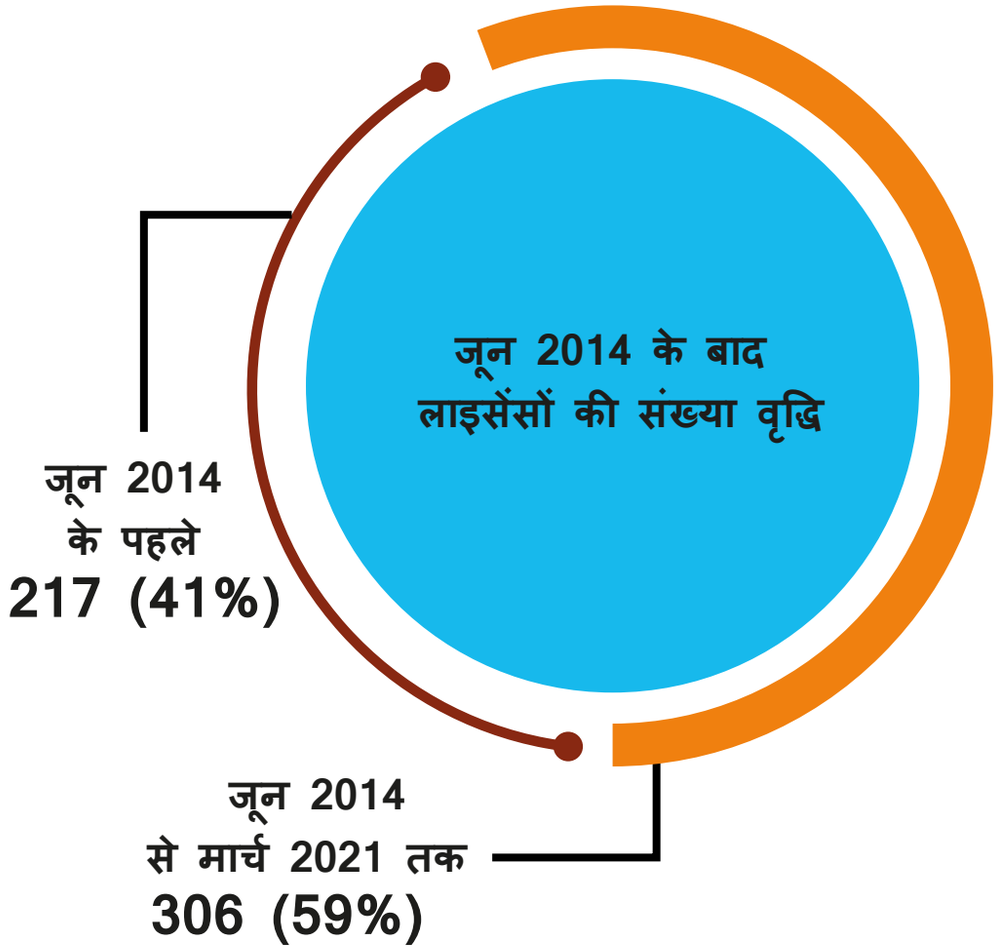

रक्षा उत्पादन कारोबार (करोड़ रु.में)

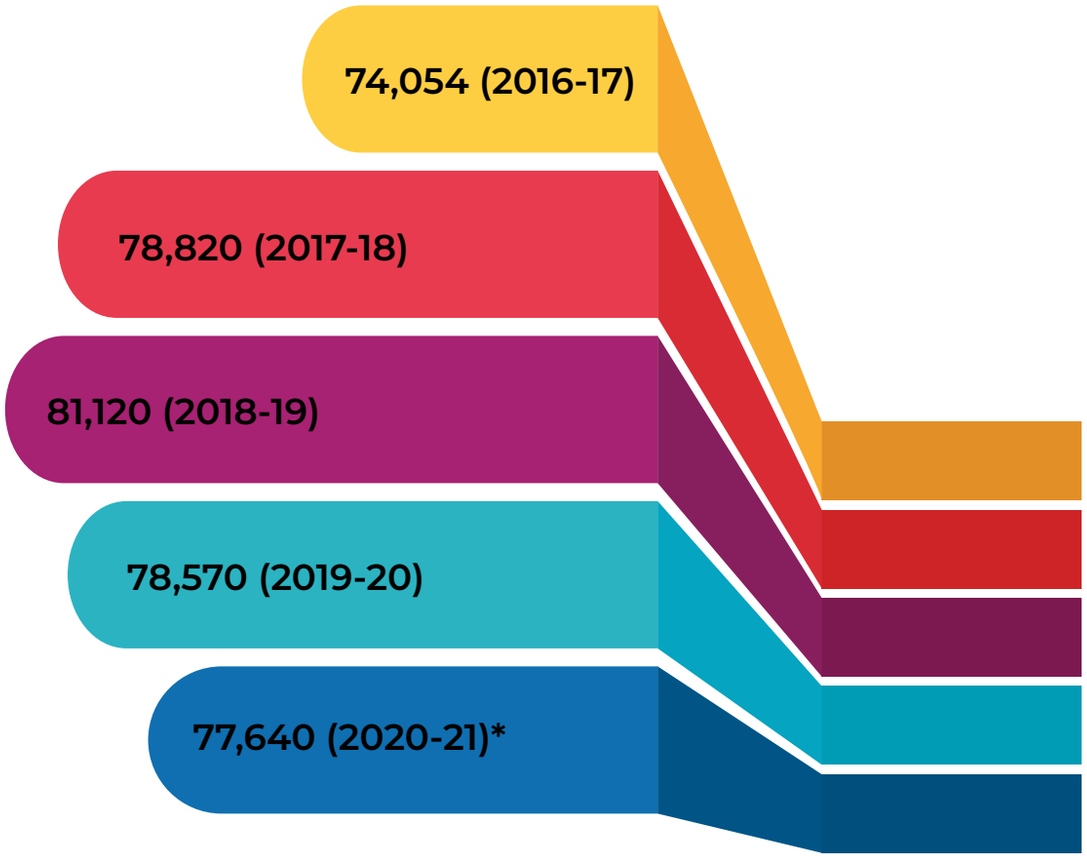

*अनंतिम । कोविड महामारी से प्रभावित अवधि

VI - रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ

पहल

इस क्षेत्र में निवेश हेतु निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों का निराकरण करने सहित सभी आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए मंत्रालय में फरवरी, 2018 में रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ।

क्रियान्वयन

डीआईसी की उद्यमियों/उद्योगों के रक्षा उत्पादन से संबधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है ।

यह रक्षा के नए उद्यमियों के लिए सूचना का प्रसार करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है तथा एसएचक्यू/डीपीएसयू/ओएफबी से संबधित उनके प्रश्नों का उत्तर देता है ।

डीआईसी सूचना का प्रसार करता है, उद्यमियों और नवोन्मेषकों के प्रश्नों का उत्तर देता है ।

यह एक ओर उद्योग/नवोन्मेषकों के बीच तथा दूसरी ओर एसएचक्यू/डीपीएसयू/ओएफबी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ।

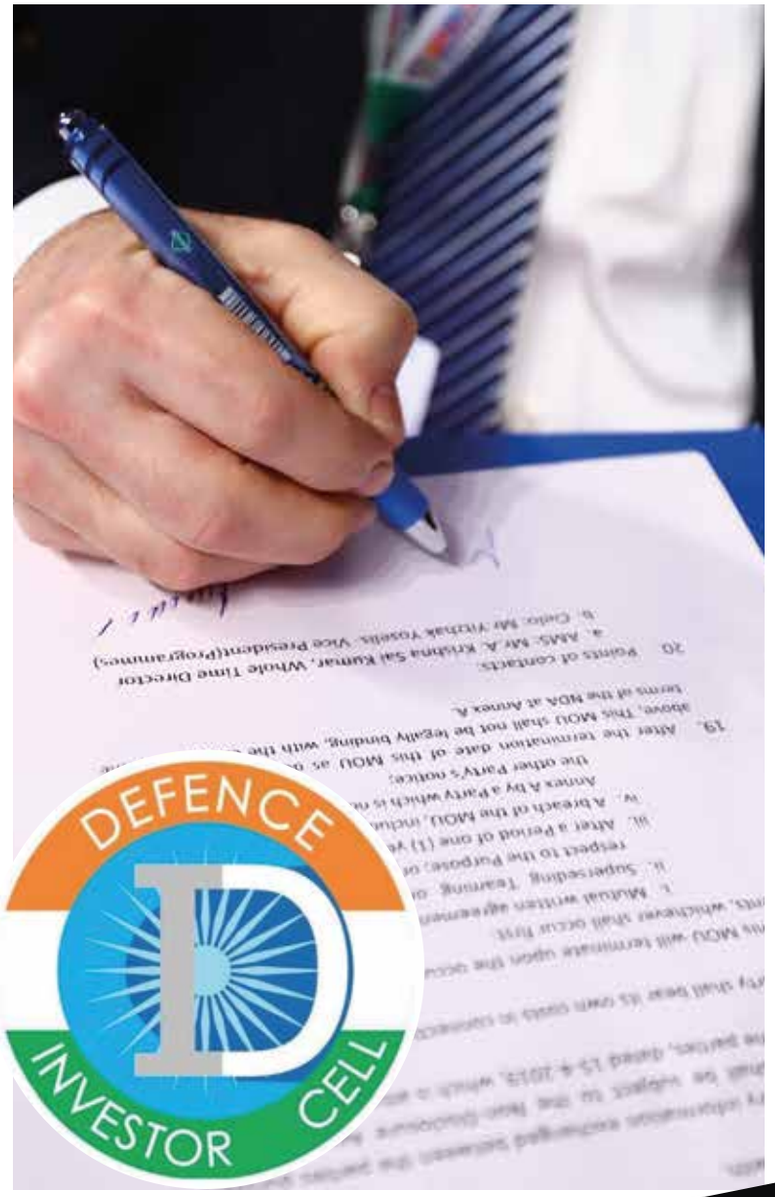

सुधार के पहले की स्थिति

इससे पहले किसी भी सामान्य आकांक्षी उद्यमी/नवोन्मेषक के लिए स्थिति अस्पष्ट थी जो यह नहीं जानते थे कि किन से संपर्क करें और किस प्रकार अपने प्रश्नों/विचारों को प्रस्तुत करें ।

इसके अलावा, उद्योग जगत विशेषकर एमएसएमई के लिए यह कठिन था कि अपनी शिकायतें किसके पास प्रस्तुत करें ।

सुधार के बाद प्रगति

डीआईसी के गठन के बाद यह अस्पष्टता समाप्त हो गई है और उद्योग/उद्यमियों/नवोन्मेषकों के लिए अपने प्रश्नों/शिकायतों के समाधान हेतु डीआईसी से संपर्क करना आसान हो गया है ।

डीआईसी उनके मामलों को सक्रियता से देखता है और एसएचक्यू/डीपीएसयू/ओएफबी के साथ संपर्क करके उनका समाधान करता है ।

उपलब्धियां

डीआईसी ने अपने प्रारंभ के बाद से पिछले दो वर्षों में 1000 से अधिक मामलों/प्रश्नों का सफलतापूर्वक समाधान किया है ।

स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना

I - सृजन पोर्टल

पहल

आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/स्टार्ट-अप्स/उद्योग जगत को विकास संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु औद्योगिक इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ओएफबी/सेनाओं के लिए दिनांक 14.08.2020 को सृजन नामक एक स्वदेशी पोर्टल को आरंभ किया गया है ।

क्रियान्वयन

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने "रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए अवसरों" के रूप में srijandefence.gov.in नामक एक पोर्टल का निर्माण किया है ।

इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू), ओएफबी और सशस्त्र सेनाओं के स्वदेशीकरण प्रयासों में भागीदार बनने के लिए निजी क्षेत्र को समर्थ बनाना है ।

यह पोर्टल गैर-कारोबारी ऑन-लाइन मार्केट प्लेस है जहां डीपीएसयू/ओएफबी/एसएचक्यू उन मदों को प्रदर्शित करते हैं जिनका वे उनकी मात्रा और आयात की लागत सहित आयात करते हैं अथवा आयात करने की प्रक्रिया में हैं ।

डीपीएसयू/ओएफबी/एसएचक्यू पोर्टल पर उन मदों को भी प्रदर्शित करते हैं जो आगामी वर्षों में स्वदेशीकरण हेतु नियोजित/लक्षित हैं ।

इस प्रकार, इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय उद्योग उन मदों को चिन्हित करने और उनमें रूचि दर्शाने में सक्षम हैं जिनके लिए उनके पास डिजाइन, विकास और विनिर्माण की क्षमताएं हैं अथवा उनके द्वारा इन क्षमताओं को ओईएम के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए प्राप्त किया जा सकता है ।

संबंधित डीपीएसयू/ओएफबी/एसएचक्यू मदों की अपनी आवश्यकता और संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के आधार पर स्वदेशीकरण के प्रति इच्छुक भारतीय उद्योग के साथ विचार-विमर्श करते हैं ।

इच्छुक भारतीय उद्योग प्रत्येक मद के लिए प्रदान किए गए संपर्क के ब्यौरे के जरिए स्वदेशीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संबंधित डीपीएसयू/ओएफबी/एसएचक्यू के साथ भी विचार-विमर्श कर सकता है ।

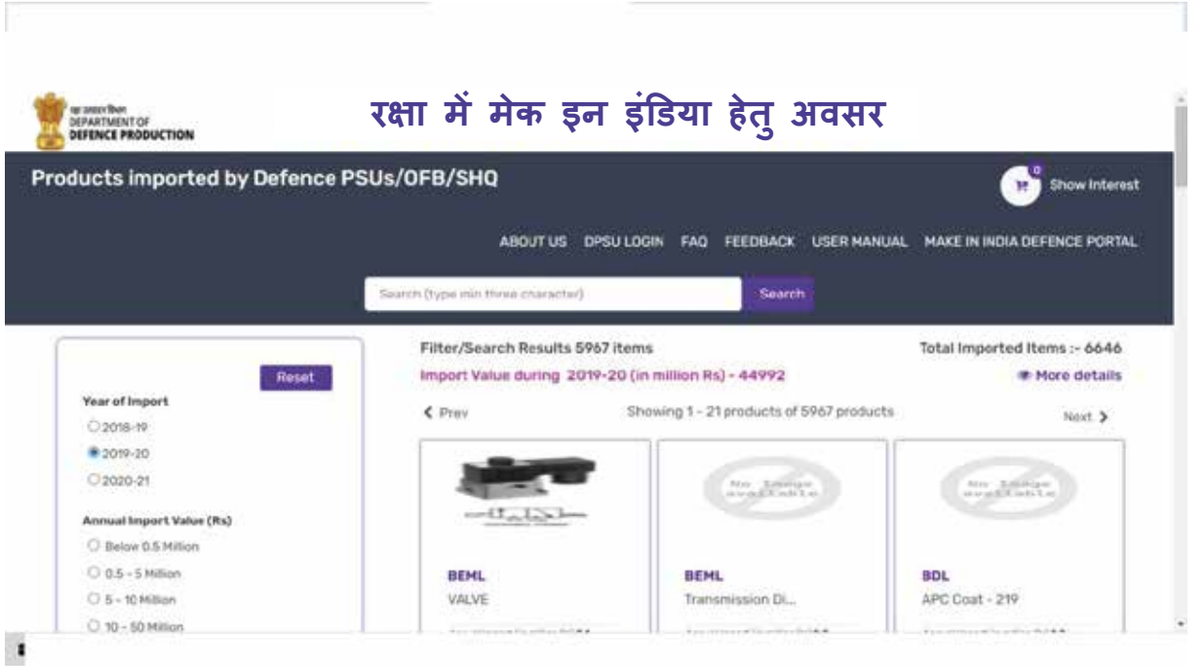

सुधार के पहले की स्थिति

पूर्व में, डीपीएसयू/ओएफबी सीमित संख्या में भारतीय विक्रेताओं के साथ इन-हाउस स्वदेशीकरण का कार्य कर रहे थे ।

पूर्व में, ऐसी सुविधा केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं थी और सभी डीपीएसयू/ओएफबी अपने-अपने स्तर पर स्वदेशीकरण का कार्य कर रहे थे ।

प्रमुख फोकस आयात पर केन्द्रित था ।

सुधार के बाद प्रगति

एक समर्पित स्वदेशीकरण पोर्टल के कारण सभी हितधारक अर्थात डीपीएसयू/ओएफबी/एसएचक्यू/डीआरडीओ तथा निजी विक्रेता एक दूसरे से परस्पर संपर्क करने में सक्षम हैं ।

पोर्टल पर विनिर्देशनों, ड्राइंग्स, मात्रा और आयात मूल्य सहित आयातित मदों के विवरण से भारतीय विक्रेताओं को अपनी क्षमताओं के भीतर मदों की पहचान करने में मदद मिलती है ।

उपलब्धियां

सृजन रक्षा पोर्टल पर 9206 से अधिक मदें प्रदर्शित की गई हैं । उद्योगों ने 2099 मदों के लिए रूचि दर्शायी है । इन मदों को डीपीएसयू/ओएफबी द्वारा स्वदेशीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है ।

II - संघटकों का स्वदेशीकरण

पहल

सरकार ने 'रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयुक्त संघटकों और कलपुर्जों के स्वदेशीकरण की नीति' मार्च 2019 में अधिसूचित की है ।

क्रियान्वयन

इस नीति का उद्देश्य "एक औद्योगिक पारितंत्र जो भारत में विनिर्मित रक्षा उपस्कर और प्लेटफार्म के लिए आयातित संघटकों (एलॉय और विशेष पदार्थ सहित) तथा सब-असेम्बलीज का स्वदेशीकरण करने में सक्षम हो, का निर्माण करना और संघटकों के निर्यात बाजार का निर्माण करने के लिए उक्त क्षमता का लाभ उठाना है" ।

यह अनुमान है कि रक्षा पीएसयू उत्पादों और प्रक्रियाओं के स्वदेशीकरण के जरिए वर्ष 2022 तक 15000 करोड़ रुपए से अधिक के आयात बिल को कम करेंगे ।

इस नीति में ऐसी कार्य नीतियों की परिकल्पना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेशी संघटकों को वरीयता जिसके कारण लागत में काफी बचत होगी, स्वदेशीकरण पोर्टल का निर्माण, स्वदेशीकृत संघटकों के लिए आईपी नीति, तकनीकी क्षमताओं के विकास हेतु सरकारी सहायता, शून्य लागत शून्य प्रतिबद्धता आधार पर स्वदेशीकृत की जा रही मदों का परीक्षण, दीर्घकालिक आर्डर, समर्पित रक्षा परीक्षण अवसंरचना की स्थापना, स्वदेशीकरण कोष, निर्यात को प्रोत्साहन इत्यादि शामिल हैं ।

सुधार के पहले की स्थिति

पूर्व में, डीपीएसयू/ओएफबी सीमित संख्या में भारतीय विक्रेताओं के साथ इन हाउस स्वदेशीकरण का कार्य कर रहे थे ।

सुधार के बाद प्रगति

नए नीतिगत कार्यान्वयन के अनुसरण में दीर्घकालिक आर्डर, मेक-II प्रक्रिया, तृतीय पक्ष परीक्षण के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क/अधिसूचना जारी की गई है जिससे स्वदेशीकरण हेतु समर्पित अवसंरचना और प्रक्रियाओं का सृजन हुआ है ।

अब दीर्घकालिक आर्डर 10 वर्ष तक की समय अवधि में अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित मदों के लिए आपूर्ति आर्डर देने में डीपीएसयू/ओएफबी को समर्थ बनाते हैं जिससे विक्रेताओं के लिए कारोबार में वृद्धि होती है ।

उपलब्धियां

वर्ष 2020-21 में 1244 मदों के मुकाबले अब तक कुल 1499 मदों को स्वदेशीकृत किया गया है । रक्षा उत्पादन विभाग ने वर्ष 2020 से वर्ष 2025 की अवधि के लिए 5000 संघटकों के स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए संकेन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेपों तथा पथ प्रदर्शक सुधारों से हम बहुत प्रोत्साहित और पुनः ऊर्जावान हैं । एक आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप भारतीय उद्योग के रूप में अब हमें फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों/प्लेटफार्मों में स्वदेशी बौद्धिक संपदा (भारतीय आईपी) के विकास पर जोर देना चाहिए ।

बाबा कल्याणी
अध्यक्ष, सीआईआई विनिर्माण परिषद
तथा अध्यक्ष एवं एमडी, भारत फोर्ज लि.

III- भारत - रूस सहयोग

पहल

सितंबर, 2019 में "रूसी/सोवियत मूल के शस्त्र और रक्षा उपस्कर से संबंधित कलपुर्जों, संघटकों, एग्रीगेट्स और अन्य सामग्री के संयुक्त विनिर्माण में परस्पर सहयोग" संबंधी एक अंतर-सरकारी करार (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

क्रियान्वयन

आईजीए का उद्देश्य "मेक इन इंडिया" पहल फ्रेमवर्क के अंतर्गत रूसी मूल के उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ संयुक्त उद्यम/साझेदारी के निर्माण के जरिए भारतीय उद्योग द्वारा भारत में कलपुर्जों और संघटकों का उत्पादन करके वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सेवारत रूसी मूल के उपस्कर की "बिक्री पश्चात सहायता" और प्रचालनात्मक उपलब्धता को बढ़ाना है ।

सुधार के पहले की स्थिति

इस सुधार से पहले, कलपुर्जे रूस से आयात किए जा रहे थे ।

सुधार के बाद प्रगति

इस सुधार के पश्चात, 550 से अधिक मदों को चिन्हित किया गया है जिनका विनिर्माण अब भारत में होगा ।

विश्व बाजार का उपयोग

I - निर्यात

पहल

i. भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात के संवर्धन पर केंद्रित ध्यान ।

ii. निर्यात प्राधिकार प्रक्रियाओं को ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा सरलीकृत किया गया है और सुचारू बनाया गया है ।

iii. रक्षा उत्पादन में निजी उद्योगों की गहन भागीदारी ।

iv. लक्षित आउटरीच कार्यक्रम ।

सुधार के पहले की स्थिति

i. रक्षा एक्सिम पोर्टल लांच किए जाने से पहले, वेबसाइट पर आवेदन प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रोसेसिंग की सम्पूर्ण प्रणाली मैनुअल थी ।

ii. पत्र/डाक के द्वारा संदेश का आदान-प्रदान होता था जिसके कारण देरी होती थी ।

iii. कई बार फर्मों के प्रतिनिधि स्पष्टीकरणों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विभाग से सीधे सम्पर्क करते थे ।

iv. भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं था । पहुंच संबंधी गतिविधियां नहीं थीं ।

क्रियान्वयन

i. रक्षा एक्जिम पोर्टल एक एंड टू एंड समाधान है ।

ii. पंजीकृत निर्यातकों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस और अनुमोदित किया जाता है ।

iii. डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित निर्यात अनुज्ञप्तियां ऑनलाइन जारी की जाती हैं ।

iv. एजेंसियों द्वारा इन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुज्ञप्तियों को कहीं से भी प्रमाणित किया जा सकता है जिससे किसी जाली प्रमाण-पत्र की संभावना समाप्त हो जाती है ।

v. हितधारकों के साथ परामर्श भी ऑनलाइन होता है ।

vi. पोर्टल में हितधारकों की टिप्पणियों की प्राप्ति को दर्शाने के लिए कलर कोडिंग उपलब्ध कराई गई है ।

vii. हितधारकों को अलर्ट भेजे जाते हैं ।

viii. विदेश में विभिन्न भारतीय मिशनों में रक्षा अताशे से प्राप्त निर्यात संबंधी जानकारी को निर्यातकों के साथ ऑनलाइन साझा किया जाता है ।

ix. पुनरावृत्ति ऑर्डरों अर्थात समान मदों का समान देशों/ संस्थाओं को निर्यात के लिए एक दिन में निर्यात अनुज्ञप्तियां जारी कर दी जाती हैं ।

सुधार के बाद प्रगति

i. अब निर्यात अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त और प्रोसेस किया जाता है तथा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं ।

ii. रक्षा निर्यात उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव ।

iii. जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या और ऐसी अनुज्ञप्तियों पर आधारित निर्यात मूल्यों में कई गुणा वृद्धि हुई है ।

iv. ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने से निर्यात अनुज्ञप्तियों को जारी करने में प्रणालियों/उप-प्रणालियों पर लगने वाला औसत समय 86 दिनों से घटकर 35 दिन हो गया है तथा कलपुर्जों एवं संघटकों हेतु लगने वाला समय 24 दिन से घटकर 13 दिन हो गया है ।

v. सरकार और उद्योग संघों की भागीदारी से नियमित वेबिनारों के माध्यम से अनेक विदेशी मित्र देशों(एफएफसी) ने भारतीय रक्षा उत्पादों में रुचि प्रकट की है ।

vi. डीपीएसयू को अपने कार्यालयों की स्थापना करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र/देश सौंपे गए हैं ।

उपलब्धियां

वर्ष 2017-18 से रक्षा निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ।

अनुज्ञप्तियों पर आधारित रक्षा निर्यात (राशि करोड़ रु. में)

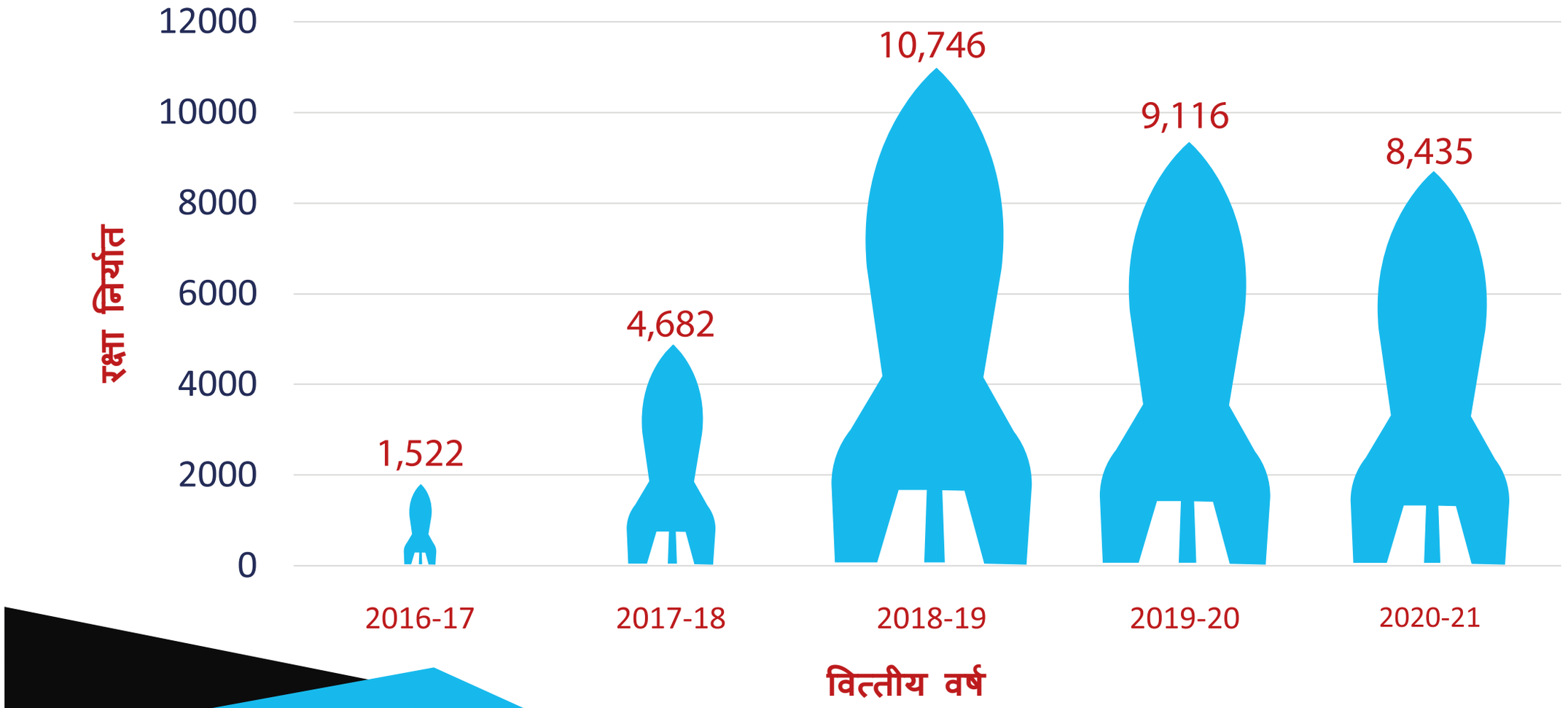

निर्यात अनुज्ञप्तियों की वर्षवार संख्या

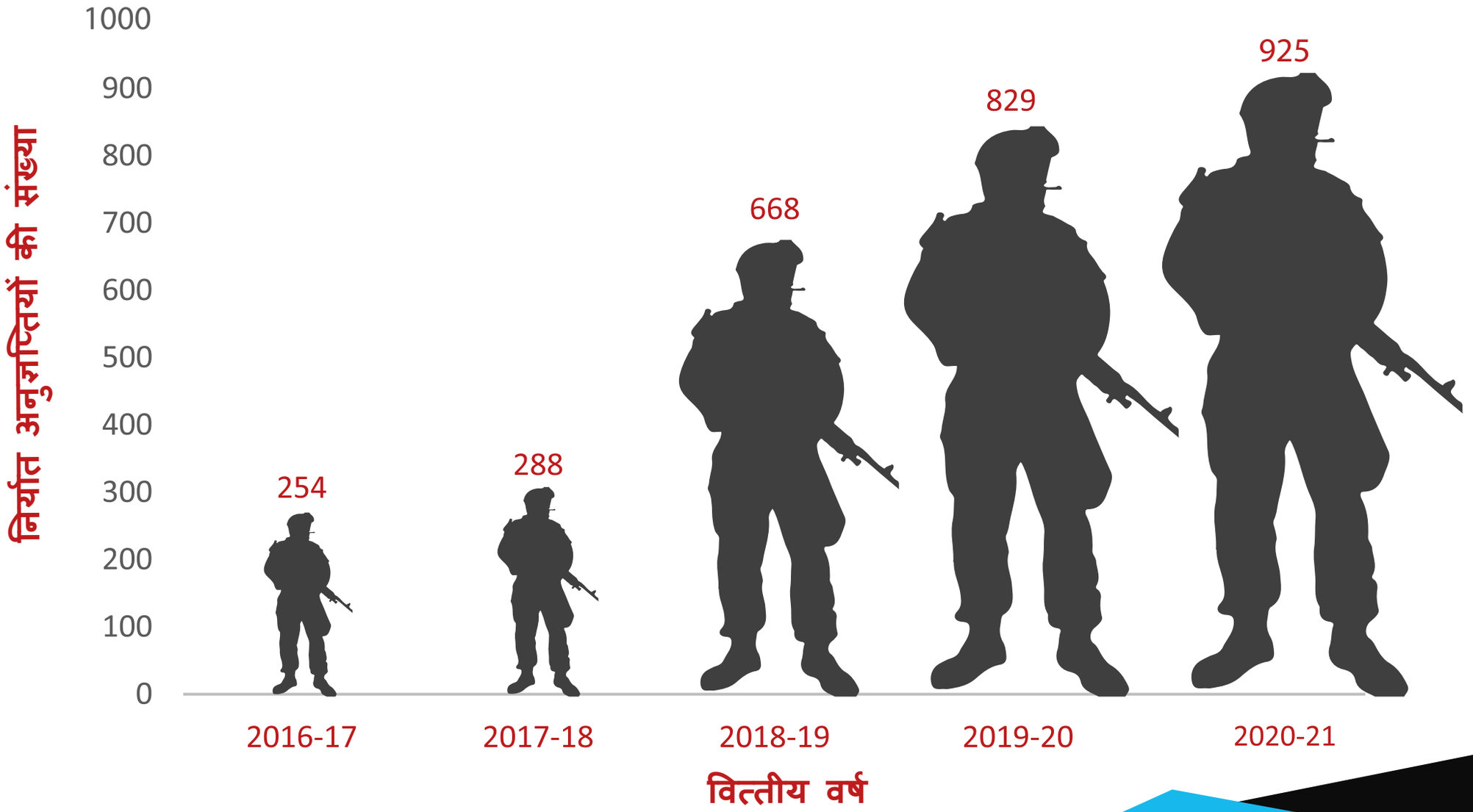

निर्यात अनुज्ञप्तियां जारी करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या

कलपुर्जों/संघटकों की निर्यात अनुज्ञप्तियां जारी करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या

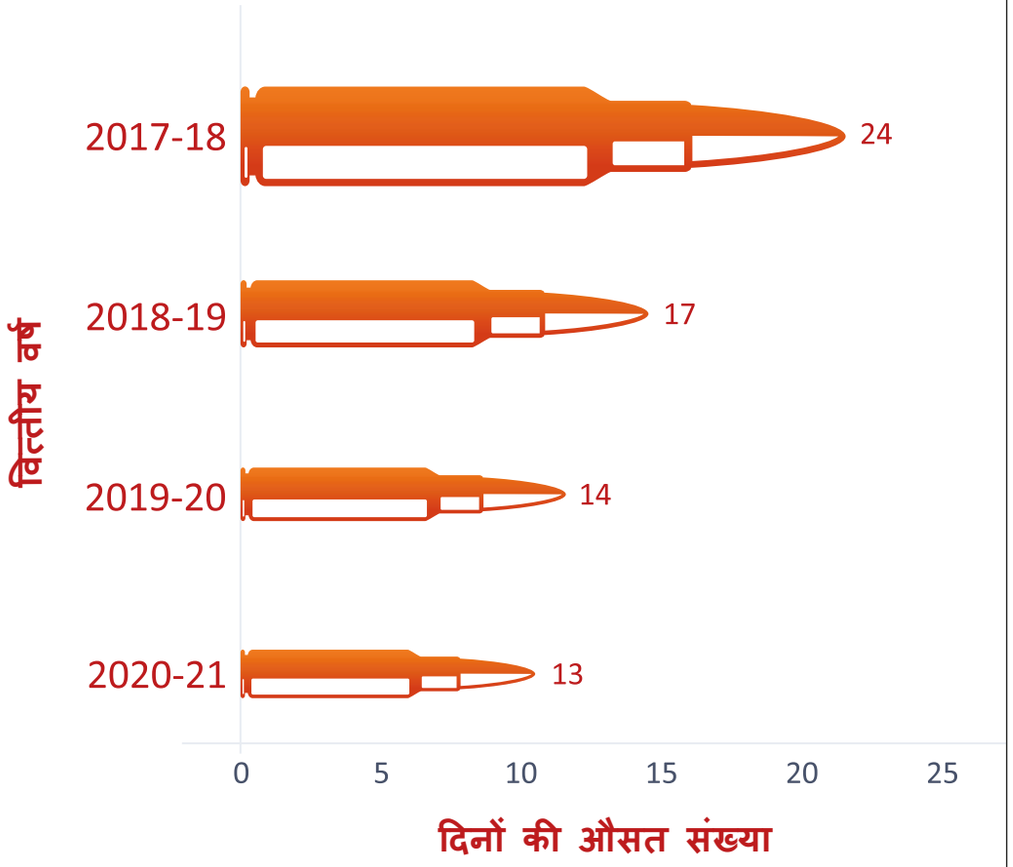

प्रणालियों/उप-प्रणालियों की निर्यात अनुज्ञप्तियां जारी करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या

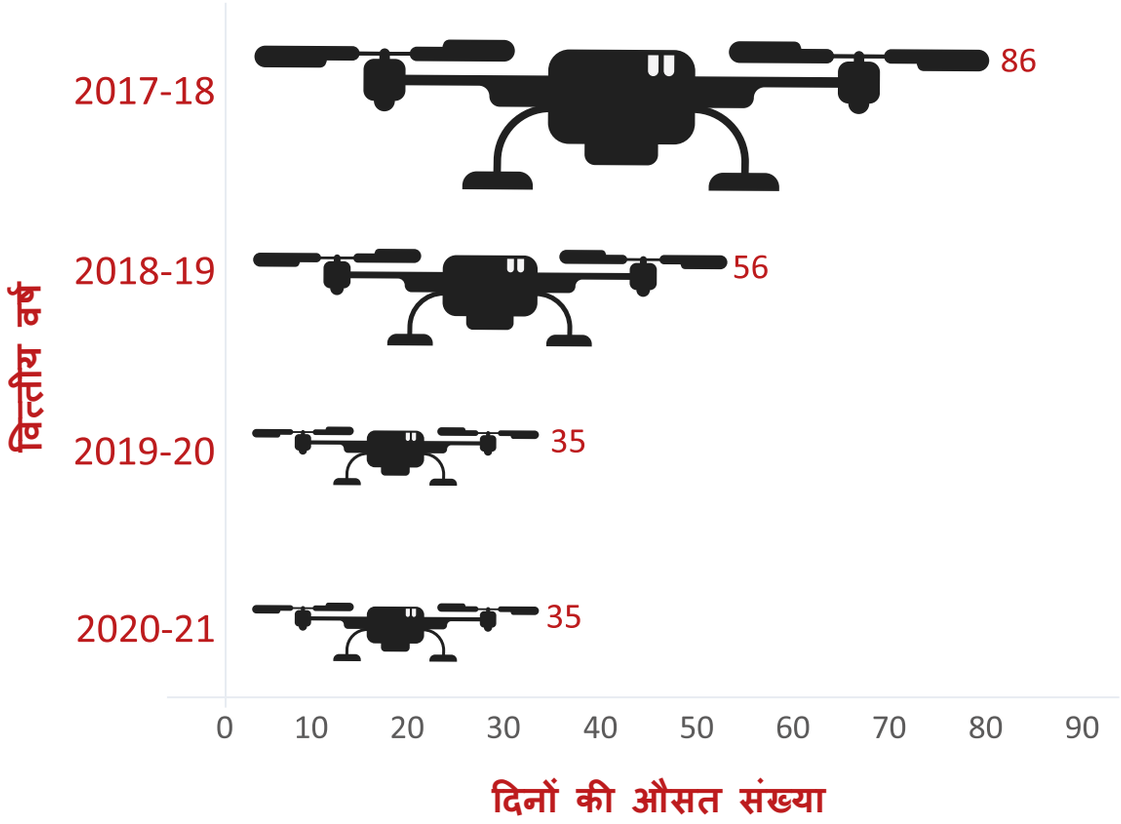

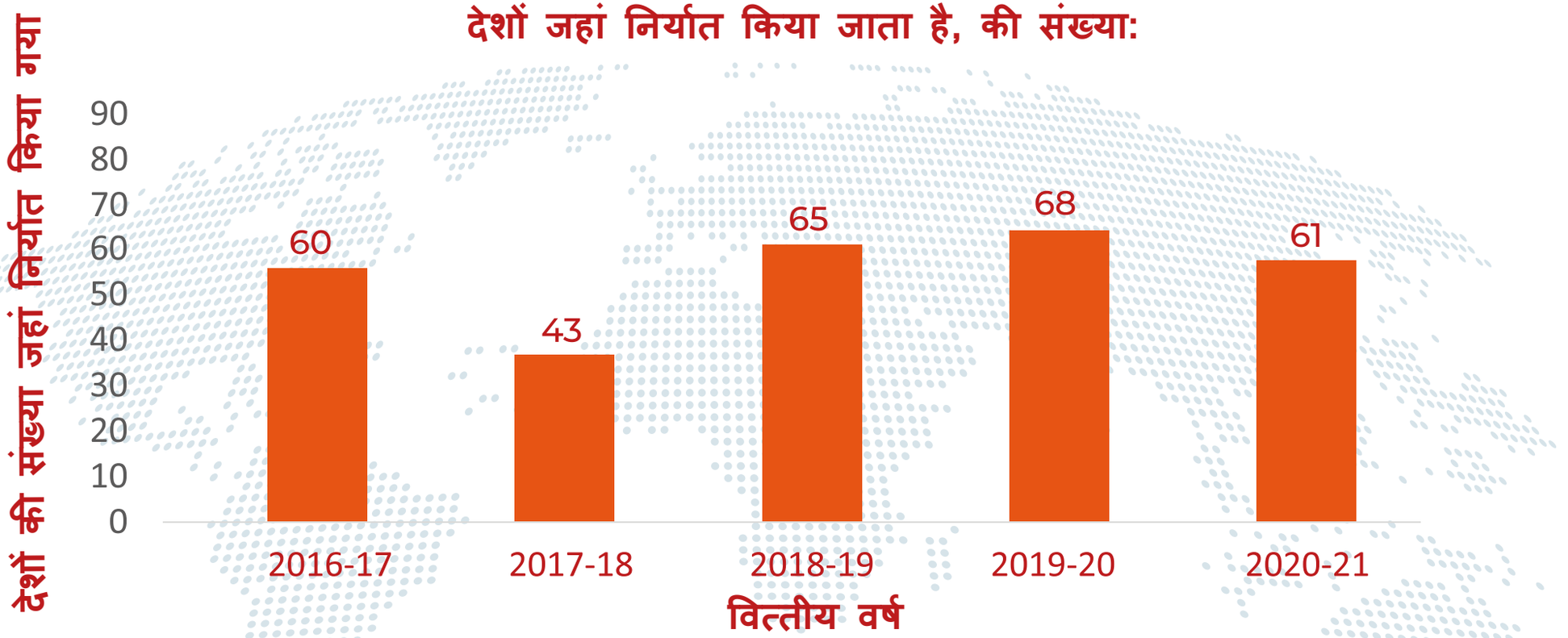

निर्यातकों की संख्या में वृद्धि

निर्यातकों की संख्या	19	31	58	74	76
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21

II - खुला सामान्य निर्यात लाईसेंस

पहल

खुले सामान्य निर्यात लाईसेंस (ओजीईएल) की अधिसूचना और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ ।

क्रियान्वयन

यह एक-कालिक निर्यात लाईसेंस है, जो उद्योग को ओजीईएल की वैधता के दौरान निर्यात अनुज्ञप्तियों को प्राप्त किए बिना ओजीईएल में नामांकित निर्दिष्ट गंतव्य स्थानों पर निर्दिष्ट मदों के निर्यात की अनुमति देता है ।

सुधार के पहले की स्थिति

कंपनी को प्रत्येक निर्यात के लिए विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी पड़ती थी।

सुधार के बाद प्रगति

ओजीईएल फर्मों को सरकार से सम्पर्क किए बिना सूचीबद्ध देशों को ओजीईएल में निर्दिष्ट मदों का निर्यात करने की अनुमति देता है ।

तथापि, कंपनी के लिए ओजीईएल का लाभ प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक अनुपालन योजना रखना अनिवार्य है ।

डिजाइन एवं विकास की क्षमताओं का उपयोग

I - मेक - I प्रक्रिया

पहल

पूंजीगत अधिप्राप्ति की 'मेक' प्रकिया को सरल बनाया गया है । सेवाओं के पर्यवेक्षण के अधीन सफलतापूर्वक विकसित नमूनों पर सीधी अधिप्राप्ति के लिए विचार किया जाता है ।

सरकार द्वारा मेक-I श्रेणी के अंतर्गत भारतीय उद्योग के लिए विकास लागत के 70 प्रतिशत वित्तपोषण का प्रावधान है ।

इसके अतिरिक्त, 'मेक' प्रक्रिया के अंतर्गत एमएसएमई के लिए विशेष आरक्षण हैं ।

सुधार के पहले की स्थिति

आरंभ में यह प्रक्रिया 2005 में प्रख्यापित की गई । हालांकि, स्पष्टता की कमी और जटिल प्रक्रिया के कारण विलंब हो जाता था ।

सुधार के बाद प्रगति

संशोधित सरलीकृत प्रक्रिया अधिक उद्योग अनुकूल है, जिससे मेक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है ।

II - मेक - II प्रक्रिया

पहल

रक्षा उपस्कर के स्वदेशी विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2016 के अंतर्गत 'मेक II' श्रेणी (उद्योग द्वारा वित्तपोषित) के लिए अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है ।

क्रियान्वयन

इस प्रक्रिया में उद्योग के अनुकूल अनेक प्रावधानों जैसे कि योग्यता मापदंड में छूट, न्यूनतम प्रलेखन, उद्योग/व्यक्ति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने के प्रावधान आदि को शामिल किया गया है ।

सुधार के पहले की स्थिति

कोई समर्थकारी प्रावधान उपलब्ध नहीं थे जहां उद्योग जगत रक्षा मदों के स्वदेशी विकास में भागीदारी कर सके ।

सुधार के बाद प्रगति

नमूने के सफल विकास पर ऑर्डरों (प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर) के आश्वासन ने निजी उद्योग जगत को रक्षा उपस्कर के स्वदेशी विकास और विनिर्माण को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया है ।

उपलब्धियां

अब तक थल सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित 30,000 करोड़ रू. मूल्य की 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन (एआईपी) प्रदान किया गया है ।

यूएएसएस स्वदेशी नमूने

मेक-II प्रक्रिया के अंतर्गत अपर एयर साउंडिंग सिस्टम (यूएएसएस) के स्वदेशी रूप से विकसित नमूना नौसेना एयर स्टेशन में प्रवेश से पूर्व परीक्षणों के लिए तैयार है । इस प्रणाली का उपयोग ध्वनि तरंगों के प्रयोग द्वारा ऊपरी वायुमंडलीय मौसम विभाग संबंधी मानकों की प्रोफाइलिंग के लिए होगा ।

यूएएसएस के कार्य निम्नानुसार होंगे:

i. भूमिगत अभिग्राही स्टेशन एवं एंटीना से युक्त पोतों और एयर स्टेशन के लिए मौसम भविष्यवाणी और एविएशन मेट रिपोर्ट के निर्माण हेतु ऊपरी वायु प्रोफाइल ।

ii. विषम प्रसारण अवस्थाओं का आकलन ।

iii. गोलाबारूद फायरिंग के लिए बैलेस्टिक करेक्शन ।

मेक-II प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय नौसेना के मार्गदर्शन के अंतर्गत 10 एमएसएमई ने यूएएसएस प्रोटोटाइप के विकास में भाग लिया है । प्रोटोटाइप के विकास की अनुमानित लागत 40 करोड़ रु. है । ये प्रोटोटाइप अब ट्रायल के लिए तैयार है । भारतीय नौसेना ने पहले ही 60 नगों का आर्डर दे दिया है ।

मेक-II प्रक्रिया के अंतर्गत विकसित इस प्रणाली की आईएमडी, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ साथ संपूर्ण विश्व के सिविल सेक्टर में उपयोगिता होने के कारण निर्यात सहित उच्च बाजार संभावनाएं हैं ।

III - रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार

पहल

अप्रैल 2018 में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) नामक रक्षा के लिए एक नवाचार आधारित पारितंत्र का शुभारंभ किया गया है ।

क्रियान्वयन

आईडेक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स,व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, आरएंडडी संस्थानों और शैक्षिक समुदायों समेत उद्योगों को शामिल करके तथा उन्हें आरएंडडी का कार्य करने के लिए अनुदान/निधियन और अन्य सहायता उपलब्ध कराकर रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के पोषण के लिए एक पारितंत्र का निर्माण करना है जिसमें भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अंगीकार किए जाने की संभावना हो ।

सुधार के पहले की स्थिति

इससे पूर्व, रक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कोई संस्थागत प्रणाली नहीं थी ।

सुधार के बाद प्रगति

आईडेक्स के शुभारंभ के पश्चात 1200 से अधिक स्टार्ट-अप्स और नवोन्मेषकों ने डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (डीआईएससी) के चार दौर और खुली चुनौती के प्रति प्रतिक्रिया दी।

38 प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों(चुनौतियों) में नवाचार अनुदान प्रदान करने के लिए 84 स्टार्ट-अप्स/व्यक्तियों का चयन किया गया है । 39 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा प्रोटोटाइप विकसित किए जा रहे हैं ।

व्यापार सुगम बनाना

I - परीक्षण सुविधाएं

पहल

सरकार के पास उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलना ।

क्रियान्वयन

सभी सरकारी संगठनों अर्थात डीआरडीओ, डीजीक्यूए, ओएफबी, डीपीएसयू, एसएचक्यू ने अपनी परीक्षण सुविधाओं की सूची को अपलोड कर दिया है और निजी क्षेत्र के लिए प्रक्रिया और नोडल अधिकारी के विवरण के साथ पेशकश की है ताकि कोई निजी कंपनी परीक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सके ।

सुधार के पहले की स्थिति

निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी और भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसियों से परीक्षण कराना पड़ता था ।

सुधार के बाद प्रगति

सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई हैं ।

उपलब्धियां

निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास अब रक्षा उत्पादों का विकास करने के दौरान सरकारी परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने का विकल्प है ।

सरकारी परीक्षण अवसंरचना का प्रणाली में कार्यकुशलता लाने के लिए इष्टतम उपयोग किया जाता है ।

II - विनिमय दर अंतर संरक्षण

पहल

पूंजी अर्जन की सभी श्रेणियों के लिए विनिमय दर अंतर संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समतुल्य भारतीय निजी क्षेत्र के लिए लागू किया गया है ।

सुधार के पहले की स्थिति

डीपीएसयू को छोड़कर प्रारंभ में एकल विक्रेता मामलों अथवा उत्पादन एजेंसी के रूप में नामांकित किए जाने पर विनिमय दर अंतर संरक्षण 'खरीदो (भारतीय)' के रूप में श्रेणीबद्ध मामलों में लागू नहीं था ।

सुधार के बाद प्रगति

डीपीपी-2016 के लागू होने से पूंजी अर्जन की सभी श्रेणियों के अंतर्गत जारी किए गए आरएफपी के आधार पर विनिमय दर अंतर को भारतीय विक्रेताओं के साथ रूपए संविदाओं के लिए लागू किया गया है ।

इसके परिणामस्वरूप पूंजी अर्जन की सभी श्रेणियों के लिए भारतीय निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समतुल्य समान अवसर प्राप्त हुए हैं ।

III - तृतीय पक्ष निरीक्षण

पहल

भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र को रक्षा उत्पादों के विकास एवं निर्माण के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया जा रहा है । डीजीक्यूए के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि लाने के लिए दिनांक 30.05.2018 को तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) की आउटसोर्सिंग के लिए एक योजना प्रख्यापित की गई थी ।

क्रियान्वयन

टीपीआई एजेंसियों के रूप में पांच फर्मे पंजीकृत की गई हैं:

i. मैसर्स ब्यूरो वेरिटस (इंडिया) प्रा. लि., मुम्बई ।

ii. मैसर्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विस प्रा. लि., मुम्बई ।

iii. मैसर्स टीयूवी इंडिया प्रा. लि., मुम्बई ।

iv. मैसर्स टीयूवी एसयूडी प्रा. लि., मुम्बई ।

v. मैसर्स आईआर क्लास सिस्टम एंड साल्यूशंस प्रा. लि., मुम्बई ।

डीजीक्यूए के पास टीपीआई के रूप में पंजीकरण के लिए योग्यता हेतु फर्म के पास अपेक्षित प्रमाणपत्र/प्रत्यायन होने चाहिए और डीजीक्यूए के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए । इसके पश्चात, डीजीक्यूए टीपीआई एजेंसी की क्षमता/योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनसाइट दौरा करता है । पंजीकरण की वैधता अवधि पांच वर्षों के लिए है और तत्पश्चात स्व-घोषणा और विगत प्रदर्शन के आधार पर पांच वर्षों के चक्रकाल में नवीकृत की जाती है ।

सुधार के बाद प्रगति

योजना का लक्ष्य रक्षा उपस्कर की क्यूए प्रक्रिया में तेजी लाना है ।

डीजीक्यूए द्वारा योग्य तृतीय पक्ष जांच एजेंसियों को सूची में शामिल किया जाता है और प्रयोक्ताओं (सेवाओं: थलसेना, नौसेना, वायुसेना, ओएफबी, डीपीएसयू, डीआरडीओ, उद्योग) के पास अधिप्राप्त किए जा रहे कुछ स्टोर्स को इन एजेंसियों को समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत करने का विकल्प होता है ।

2020-21 में प्रदर्शनी एवं आउटरीच कार्यक्रम

I - एयरो इंडिया 2021

i. विश्व की सर्वप्रथम हाइब्रिड एयरो एवं रक्षा प्रदर्शनी 03.02.2021 से 05.02.2021 तक एयर फोर्स स्टेशन, येलहंका, बैंगलौर में आयोजित की गई थी और कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण केवल व्यावसायिक आगंतुकों को समर्पित था । महामारी के कारण पारंपरिक सार्वजनिक दिवस को पहली बार हटा दिया गया था ।

ii. एयरो इंडिया 2021 की थीम "अपार संभावनाओं की असीमित उड़ान" जिसका लक्ष्य विदेशी और भारतीय फर्मों के बीच साझेदारियों का निर्माण करना है जिससे स्वदेशीकरण प्रक्रिया, सह-विकास और सह-उत्पादन की निगरानी के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में नए अवसरों की खोज होती है ।

iii. माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' की प्राप्ति पर बल देने के साथ एयरो इंडिया 2021 का शुभारंभ 03.02.2021 को किया गया । समारोह 602 पंजीकृत प्रदर्शकों (524 भारतीय प्रदर्शकों एवं 78 विदेशी प्रदर्शकों) और 338 वर्चुअल प्रदर्शकों

की भागीदारी का साक्षी बना । शुभारंभ समारोह के दौरान 83 हल्के लड़ाकू विमान के लिए संविदा को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) को सौंपा गया । महामहिम राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद ने दिनांक 05.02.2021 को समापन समारोह की शोभा बढ़ाई ।

iv. माननीय रक्षा मंत्री ने 'रोटरी विंग' अर्थात हेलीकॉप्टर की थीम पर आधारित भारतीय पैवेलियन का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य हमारी कीर्ति के स्वदेशी फलक की क्षमता और यात्रा को तीव्र स्वदेशीकरण के माध्यम से देश में यूएवी सहित रोटरी विंग प्रणाली के प्रबल भविष्य की झलक अंकित करना था । भारतीय पैवेलियन देश के सरकारी संगठनों, पीएसयू, भारतीय निजी प्रमुख संगठनों, एमएसएमई एवं स्टार्ट अप्स सहित अब तक के सर्वाधिक 70 प्रदर्शकों की भागीदारी का साक्षी बना ।

v. दिनांक 03.02.2021 से 04.02.2021 तक वायुसेनाध्यक्षों की संगोष्ठी को 'सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए एयरोस्पेस शक्ति का लाभ उठाना' थीम के साथ आयोजित किया गया । यूएसए, यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशियाई गणतंत्र राष्ट्रों, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, भारतीय समुद्री क्षेत्र और भारतीय प्रशांत क्षेत्र सहित महाद्वीपों से लगभग 40 राष्ट्रों (24 राष्ट्रों ने वास्तविक रूप में और 16 ने वर्चुअल रूप से) संगोष्ठी में उपस्थिति दर्ज की ।

vi. दिनांक 04.02.2021 को 'भारतीय समुद्री क्षेत्र में वृद्धित शांति, सुरक्षा और सहयोग' की थीम पर आधारित भारतीय समुद्री क्षेत्र (आईओआर) के रक्षा मंत्रियों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना और क्षेत्र (सागर) में सभी के लिए सुरक्षा और उन्नति की परिकल्पना को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण के साथ आयोजित करना था जिसमें निरंतर क्षेत्रीय विकास और प्राकृतिक आपदाओं, तस्करी, आतंकवाद, गैरकानूनी, अप्रतिवेदित, अनियमित मछली पकड़ने जैसे खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु तटवर्ती राज्यों में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर बल देना था ।

vii भारतीय समुद्री क्षेत्र से 26 राष्ट्रों ने संगोष्ठी में भाग लिया (18 ने वास्तिवक रूप में और 8 ने वर्चुअल रूप में) । संगोष्ठी में 18 देशों सहित चार देशों से रक्षा मंत्रियों (मालदीव, कोमोरोस, ईरान और मेडागास्कर) ने भाग लिया और 6 राजदूतों/उच्चायुक्तों ने अपने देशों जैसे आस्ट्रेलिया, केन्या, सेशेल्स, मॉरीशस, कुवैत और म्यांमार का प्रतिनिधित्व किया, सुडान के रक्षा सचिव और 10 देशों के सेवा प्रमुखों ने शारीरिक रूप से उपस्थिति दर्ज की ।

viii. एयरो इंडिया 2021 से एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन और भारत को एक वरीयता प्राप्त वैश्विक विनिर्माण केन्द्र के रूप में बढ़ावा मिलने की आशा है । यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, स्वदेशीकरण में वृद्धि करेगा, रक्षा क्षेत्र में रोजगार अवसरों में सुधार करेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के उद्देश्य को आगे ले जाते हुए निर्यात को प्रोत्साहन देगा ।

II - बजट घोषणा वर्ष 2021-22 पर वेबिनार

i. 22.02.2021 को रक्षा मंत्रालय. भारत सरकार द्वारा देश में रक्षा पारितंत्र में योगदान देने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के लिए बजट घोषणा 2021-22 संबंधी एक वेबिनार का आयोजन किया गया ।

ii. इसका उद्देश्य स्वदेशीकरण और देश में रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र की वृद्धि के लिए भावी रोडमैप पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना था ।

iii. माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभारंभ के दौरान एक महत्वपूर्ण भाषण दिया । उन्होंने अपने भाषण में रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास में निजी क्षेत्र की वृहत्तर भागीदारी, देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा मदों की सकारात्मक सूची, विश्व के एक सबसे बड़े हथियार आयातक राष्ट्र से प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में देश का परिवर्तन करने और हमारे शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा देश के भीतर क्षमता विशेषज्ञता निर्माण के माध्यम से रक्षा में 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साझा किया ।

iv. माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरूआत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति में बजट के प्रभाव और रक्षा एवं एयरोस्पेस में रोजगार के अवसरों का निर्माण करने पर बल दिया । उन्होंने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि 2021-22 में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रखे गए पूंजीगत व्यय का 63 प्रतिशत निवेश घरेलू अधिप्राप्ति हेतु करने की योजना बनाई गई है ।

v. माननीय रक्षा मंत्री ने परियोजनाओं के तीव्रतर प्रोसेसिंग और कार्यान्वयन के लिए पूंजीगत अधिप्राप्ति के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों के वृद्धित प्रत्यायोजन, 75,000 करोड़ रु. मूल्य के एओएन जिसमें 87 प्रतिशत मेक इन इंडिया से संबंधित है, के अनुमोदन, खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) और आयात लाइसेंसों को आनलाइन जारी करने से व्यवसाय करने में अत्यधिक सरलता की ओर बढ़ने तथा 'मेक-I' के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों को बढ़ावा देने सहित देश में रक्षा क्षमताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हाल में रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा की ।

vi. वेबिनार में सेवाओं/आईसीजी, रक्षा मंत्रालय, डीपीएसयू/ओएफबी के अधिकारियों, फिक्की, एसोचैम, एसआईडीएम और सीआईआई तथा पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री जैसे औद्योगिक संस्थानों, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप्स और आईडेक्स साझीदार संगठनों सहित घरेलू एवं विदेशी उद्योगों ने भाग लिया । कुल मिलाकर वेबिनार में 2000 प्रतिभागी उपस्थित थे । माननीय रक्षा मंत्री ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न घोषणाएं की:

- वर्ष 2021-22 में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धनराशि अर्थात 70,221 करोड़ रु. के लगभग 63 प्रतिशत घरेलू अधिप्राप्ति ।

- आत्मनिर्भर भारत के लिए दूसरी सकारात्मक सूची को शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा ।

- लाइट यूटिलिटी हैलिकॉप्टर (एलयूएच) के लिए एचएएल को आशय पत्र (एलओआई) जारी करना ताकि इंडिया@75 अर्थात अगस्त 2022 में भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने के अवसर पर प्लेटफार्म को सेवाओं में प्रवेश दिया जा सके ।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पूंजी अधिप्राप्ति के 15 प्रतिशत से अधिक घरेलू निजी उद्योग से सीधी अधिप्राप्ति में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे ।

- एओएन प्रदान करने से लेकर संविदा हस्ताक्षरित करने की अवधि को घटाने और दो वर्षों तक सीमित करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएगें, जिसके लिए गहन निगरानी की जाएगी ।

- सैद्धांतिक अनुमोदन (एआईपी) प्रदान करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रु. से 2000 करोड़ मूल्य की कुछ परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा ।

- एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स की कोष संबंधी समस्याओं के निदान के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रु. के 'कोषों का कोष' का निर्माण किया है । कोष का उपयोग करने के लिए रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र तक संपूर्ण सहायता का विस्तार किया जाएगा ।

- 2021-22 में कम से कम 5 मेक-I परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन (एआईपी) प्रदान किया जाएगा ।

- 'आईडेक्स- खुली चुनौती' मार्ग अर्थात 'मेक-II स्व-प्रेरणा' के अंतर्गत स्टार्ट अप्स और एमएसएमई सेवाओं के समक्ष स्वदेशी उत्पादों/समाधान को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

- स्वदेशी सैन्य सामग्री जिसमें महत्वपूर्ण और सामरिक कच्चे माल सम्मिलित हैं, के लिए रक्षा मंत्रालय, सेवाओं, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों से बना एक कार्यदल गठित किया जाएगा । कार्यदल उक्त हेतु एक रोडमैप और कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को तैयार करने में सहायता करेगा ।

- देश में नवोन्मेषी रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करने और बढ़ते हुए स्टार्ट-अप आधार को सहायता प्रदान करने हेतु पर्याप्त रूप में बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने **आईडेक्स स्टार्ट-अप्स से अधिप्राप्ति के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 1,000 करोड़ रु.** की व्यवस्था की है ।

III - निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश के साथ वेबिनार

भारत ने वर्ष 2024 तक 5 बिलियन यूएस डालर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा अनेक पहलें की जा रही हैं । इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा फिक्की और एसआईडीएम जैसी औद्योगिक संस्थाओं की सहायता से विदेशी मित्र राष्ट्रों (एफएफसी) के साथ वेबिनार एवं एक्सपो आयोजित किए जा रहे हैं । इन वेबिनारों में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, औद्योगिक संस्थाओं और भारत एवं संबंधित देशों के रक्षा उद्योगों से उच्च स्तरीय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है । इन वेबिनारों में भारत के निजी एवं सार्वजनिक दोनों रक्षा उद्योगों ने अपने उत्पादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया ।

अब तक 15 विदेशी मित्र राष्ट्रों अर्थात इजराइल, कम्बोडिया, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, आस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, ब्राजील, मालदीव और नेपाल के साथ वेबिनार आयोजित किए गए हैं । वर्तमान महामारी के कारणों वर्चुअल प्रदर्शनियां भी डिजिटल समाधान के रूप में स्थापित की गई । अनेक देशों के साथ वेबिनार विचाराधीन हैं ।

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE
भारत सरकार
सत्यमेव जयते
रक्षा उत्पादन विभाग
DEPARTMENT OF
DEFENCE PRODUCTION
GOVERNMENT OF INDIA